03251
22-6-19

संख्या– /XXVII(6)/ए–397/छः/2006/2019

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष।
2. समस्त वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/ वित्त अधिकारी।
3. समस्त आहरण–वितरण अधिकारी।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 18 जून, 2019

विषय– TDS/TCS से संबंधित आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में शासन के संज्ञान में यह आया है कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा विभन्नि कार्यों के फलस्वरूप भुगतान अथवा प्रांप्ति के समय TDS (Tax Deduction at sourse)/TCS (Tax collection at sourse) सम्बन्धी आयकर अधिनियम के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। कतिपय प्रकरणों में उनके द्वारा निर्धारित दर से अधिक तथा कतिपय में कम कर की कटौती/प्राप्ति की जा रही है तथा आयकर विभाग द्वारा इस प्रकार की विसंगति विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा पूर्व में की गयी कटौतियों को सही एवं औचित्यपूर्ण बनाने के लिए कर विवरणी/कर दस्तावेजों से छेड़छाड़ अथवा कूटरचित/त्रुटिपूर्ण सूचना तैयार कर आयकर विभाग को प्रेषित किया जा रहा है, जो कि एक आपराधिक एवं दण्डनीय कृत्य है।

उक्त के दृष्टिगत् TDS/TCS से संबंधित आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्राविधानों एवं आहरण–वितरण अधिकारियों के लिए संक्षिप्त एवं उपयोगी दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त अहरण–वितरण अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी आयकर अधिनियम के प्राविधानों के संलग्न दिशा–निर्देश अनुसार ही TDS/TCS की कटौती/भुगतान तथा कर विवरणी/कर दस्तावेज को तैयार कर दाखिल एवं संरक्षित करना सुनिश्चित करें। यदि कर विवरणी/कर दस्तावेजों से किसी प्रकार के छेड़छाड़ अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना प्रेषित कर आयकर विभाग को गुमराह करने एवं कर संग्रह की क्षति पहुंचाने की स्थिति पायी जाती है। उसके लिए समस्त उत्तरदायित्व आहरण–वितरण अधिकारी का होगा तथा उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 106 /XXVII(6)/ए–397/छः/2006/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर आयुक्त, TDS, आयकर विभाग, आयकर भवन, 13ए, सुभाष रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून को इस आशय से प्रषित कि उक्त शासनादेश व संलग्न दिशा–निर्देश कोषागार पोर्टल पर समस्त डी0डी0ओ0/वित्त नियंत्रक/विभागाध्यक्ष की जानकारी हेतु अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनु सचिव।

kosagar draft

टी0डी0एस0 अर्थात् स्त्रोत पर कर कटौती क्या है?

करों के त्वरित और कुशल संग्रह के लिए, आयकर अधिनियम में आय के सृजन के बिन्दु पर कर की कटौती की एक प्रणाली शामिल है जिसे "स्त्रोत पर कर की कटौती" (TDS) कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कर की कटौती आय सृजन के मूल पर की जाती है। कर की कटौती भुगतानकर्ता/आहरण–वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा करते हुए आदाता (payer) की ओर से आयकर विभाग को प्रेषित किया जाता है। स्त्रोत पर कर की कटौती के प्राविधान वेतन, ब्याज, कमीशन, व्यवसायिक फीस, रॉयल्टी, अनुबंध भुगतान आदि पर लागू होते हैं।

टी0डी0एस0 कैसे काटा जाता है?

कोई भी संस्थान (जो टीडीएस के दायरे में आता है) जो भुगतान कर रहा है, वह निश्चित धनराशि टी0डी0एस0 के रूप में काटता है तथा जिसकी आय से टैक्स काटा जाता है, वह भी टी0डी0एस0 डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का अधिकारी होता है। टैक्स डिडक्टर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह टीडीएस सरकार को जमा करें। जब एक बार धनराशि आयकर विभाग के खाते में जमा हो जाती है तो यह राशि उस व्यक्ति के फार्म 26 एएस में दिखती है। यहां डिडक्टी अपने चुकाए गए टैक्स का टीडीएस क्लेम कर सकता है, हालांकि यह क्लेम उसी वित्तीय वर्ष में करना होता है।

आहरण–वितरण अधिकारियों हेतु महत्वपूर्ण दिशानिर्देशः–

- आयकर विभाग से विभाग को नोटिस प्राप्त होने की स्थिति में डी0डी0ओ0 व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि उसका नियमानुरूप निराकरण कर निर्धारित समय के भीतर उत्तर प्रेषित कर दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अथवा अभिलेखों से छेड़–छाड़/त्रुटिपूर्ण सूचना प्रेषण की स्थिति सामने नहीं आनी चाहिए।
- आहरण–वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आयकर विवरणियों संबंधी मूल एवं, जहां कहीं बाद में सम्पूर्ण जांच उपरांत उनमें संशोधन किया गया हो वहां पर वह संशोधित अभिलेख, कार्यालय में सुरक्षित रखें जायें।
- आयकर संबंधी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु निम्न नम्बर/ई–मेल आई.डी. पर सम्पर्क किया जा सकता है– 1800 103 0344, 012 0481 4600, contactus@tdscps.gov.in देहरादून रेंज– 7599102268 (अपर आयुक्त , आयकर), 7599102239 (सहायक आयुक्त आयकर), 7599102239 (आयकर अधिकारी)
- आयकर अधिनियम, 1961 के section 192 अनुसार, डी0डी0ओ0 द्वारा कार्मिकों को भुगतान किए जा रहे मासिक वेतन से प्रतिमाह आयकर कटौती की जानी आवश्यक है। कई मामलों में विभागों के स्तर पर मासिक वेतन से कटौती नहीं की जा रही है अथवा आगणित average income-tax से कम मासिक आयकर कटौती करते हुए और वित्तीय वर्ष के अंत में वेतन से एकमुश्त कटौती की जा रही है, जोकि नियमों के विपरीत है।

- आयकर कटौती के समय सही PAN/TAN का अवश्य प्रयोग करें।
- जहां कहीं आयकर कटौती के समय संबंधित द्वारा अपना PAN नहीं दिया जाता है वहां निम्न में से जिसकी दर उच्चतम हो, उसके अनुरूप आयकर कटौती की जाए–
    - अधिनियम के सुसंगत नियम में अंकित निर्दिष्ट दरें (Rate specified in relevant provision of the Act)
    - तत्समय लागू दरें (Rate in force)
    - 20% की दर से (At the rate of 20%)
- कोषागार में प्रस्तुत देयकों से की गई आयकर कटौती के सापेक्ष त्रैमासिक 24Q/26Q तैयार किए जाने हेतु IFMS से generated reports का प्रयोग करें।
- आयकर विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विभागों के स्तर से नियमानुरूप निर्धारित आयकर स्लैब से कम की कटौतियां की जा रही हैं। आहरण–वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नियमानुरूप समस्त वैधानिक कटौतियां देयकों से किए जाने के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही की जाए।
- आयकर विभाग से संबंधित विवरणियां (returns) तैयार किए जाने हेतु www.tin-nsdl.com पर उपलब्ध Return Preparation Utility का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें e-tutorial के माध्यम से screen shot सहित सम्पूर्ण प्रकिया को विस्तारपूर्वक समझाया गया है।
- आयकर नियमों का अनुपालन न किए जाने (consequences of Defaults) की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा दण्डात्मक ब्याज (PENAL INTEREST), दण्ड (PENALTY) तथा अभियोजन (PROSECUTION) की कार्यवाही की जाती है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी का होगा।
- आयकर संबंधी कार्यशालायें समय–समय पर जनपदों में आयोजित की जाती हैं। समस्त आहरण–वितरण अधिकारी इन कार्यशालाओं में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें व इस हेतु कोषागार से समन्वय रखें।

➢ करें(Do's)

- ❖ कर–आदाता से (Tax-Payer) सही PAN प्राप्त करें और कर विवरणी एवं कर दस्तावेजों में उसका सही–सही उल्लेख करें।
- ❖ निर्धारित दरों पर ही स्त्रोत से कटौती करें तथा कर विवरणी एवं कर दस्तावेजों में सही दर (Tax-Rate) का ही उल्लेख करें।
- ❖ स्त्रोत पर की गयी कर की कटौती का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को करें।
- ❖ निर्धारित समय सीमा के भीतर ही कर विवरणी दाखिल करें एवं टीडीएस विवरण जमा करें।
- ❖ आदाता से की गई कर कटौती के संबंध में उसे टीडीएस प्रमाण पत्र निर्गत करें।
- ❖ जिस TAN के सापेक्ष TDS कटौती की गयी है तथा TDS प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, उसी TAN का उल्लेख विवरणी एवं कर दस्तावेजों में करें।
- ❖ चालान में CIN एवं धनराशि का सही–सही उल्लेख करें।

- ज्यों ही पूर्व में दाखिल कर विवरणी/कर दस्तावेजों में विसंगति की जानकारी हो, तुरन्त संशोधित विवरण दाखिल करें।
- भविष्य में यथावश्यक संशोधनों के दृष्टिगत् मूल FVU File अपने पास सुरक्षित रखें।
- TIN-NSDL.com द्वारा उपलब्ध कराये गये निःशुल्क RPU का प्रयोग करें।
- TIN-NSDL.com के चालान Status enquiry (TAN आधारित) से चालान का विवरण डाउनलोड करें।
- कर सूचना प्रणाली द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु TAN अवश्य प्राप्त करें।
- दाखिल कर विवरणी एवं कर दस्तावेजों में विसंगति की जानकारी हेतु तथा TDS विवरणी को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने की जानकारी हेतु TIN-NSDL से TDS विवरणी के Status को अवश्यक चैक करें।

➢ न करें(Don'ts)

- त्रुटिपूर्ण अथवा फर्जी चालान का प्रयोग कदापि न करें।
- कर विवरणी व कर दस्तावेजों में गलत TAN/PAN का प्रयोग न करें और न ही TAN के स्थान पर PAN अथवा PAN के स्थान पर TAN का प्रयोग करें।
- निगमित (Corporate) एवं गैर–निगमित (Non-Corporate) करदाताओं (Tax-Payers) के लिए एक ही चालान का प्रयोग न करें।
- यदि कोई एक से अधिक TAN धारित करता है तो सतत् रूप से केवल एक ही TAN का प्रयोग करें तथा अन्य TAN का समर्पण (Surrender) कर दें।
- TAN/PAN की जांच किये बिना पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) चालान का प्रयोग न करें।
- यदि किसी ईकाई की प्रत्येक शाखा/खण्ड द्वारा पृथक–पृथक TDS/TCS विवरणी दाखिल की जाती है तो उनके द्वारा पृथक–पृथक TAN प्राप्त किया जायेगा।
- चालान में कर निर्धारण वर्ष अंकित करने में कोई त्रुटि न करें।

● महत्वपूर्ण टीडीएस दरें

विवरण		टीडीएस की दर
Section 194C	ठेकेदारों **(contractors/sub-contractor)** से संबंधित भुगतान वैयक्तिक एवं हिन्दू अविभाजित परिवार **(individuals & HUF)**	1% 2%
Section 194 I	किराए पर आयकर कटौती की दरें– भवन/भूमि/फर्नीचर पर मशीनरी/प्लांट पर	10% 2%
Section 194 J	व्यवसायिक/तकनीकी आदि सेवाओं की फीस पर	10 %

- अन्य टी0डी0एस0 दरें

विवरण		टीडीएस की दर
Section 192	वेतन भुगतान	नीचे अंकित आयकर स्लैब के अनुसार
Section 192A	भविष्य निधि के शेष संचित धनराशि का भुगतान जोकि कर्मचारी को देय है, कर योग्य है (1.6.2015 से लागू)	10 %
Section 193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	
a)	कोई भी ऋणपत्र या प्रतिभूति जो किसी भी धनराशि पर किसी भी स्थानीय प्राधिकार या केन्द्र या राज्य सरकार या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा जारी किए गये हों।	10 %
b)	ऋणपत्र जोकि किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज द्वारा Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा जारी किए गये हों और अन्य कोई नियम जो इसके अधीन बनाया गया हो।	10 %
c)	कोई भी प्रतिभूति केन्द्र या राज्य द्वारा जारी की गई हो।	10 %
d)	किसी भी प्रतिभूति पर ब्याज	10%
Section 194	लाभांश जोकि Section 115-O में इंगित है, के अतिरिक्त अन्य लाभांश	10 %
Section 194A	'प्रतिभूतियों पर ब्याज' के अतिरिक्त ब्याज द्वारा आय	10 %
Section 194B	लॉटरी, क्रासवर्ड, पजल, कार्ड गेम और अन्य प्रकार के गेम से आय	30 %
Section 194-IB	व्यक्ति द्वारा किया गया किराये का भुगतान या HUF कर योग्य नहीं है ऑडिट नोट–यह व्यवस्था 1.6.2017से लागू है	5 %
Section 194-IC	संयुक्त विकास अनुबंध के अन्तर्गत धन संबंधी विमर्श पर भुगतान	10 %
Section 194J	ऐसी कोई भी धनराशि जिसका भुगतान निम्न रूपों में किया गया हो– (क) पेशेवर शुल्क (ख) तकनीकी सेवा शुल्क (ग) रॉयल्टी (घ) किसी निदेशक को पारिश्रामिक/शुल्क/कमीशन (च) किसी भी व्यापार के संबंध में कोई भी गतिविधि ना करने के लिए (छ) किसी भी जानकारी/ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, आदि को साझा ना करने के लिए	10 %
Section 194LA	किसी अचल सम्पत्ति की प्राप्ति पर दी गई क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान	10 %
Section 194LBA(1)	व्यापार न्यास द्वारा कोई भी ब्याज जो प्राप्त किया गया है या इसके द्वारा	10 %

	SPV से प्राप्त करने योग्य है या कोई आय जो न्यास को अपनी जमीन जायदाद अपने इकाई धारकों को किराये या पट्टे या भाड़े पर देने से प्राप्त होती है, ऐसी आय को बांटते समय कर की कटौती की जायेगी।	
Section 194LBB	निवेश धनराशि जिससे इकाई धारक को आय प्राप्त होती है {ऐसी आय के अतिरिक्त जिसे Section 10 (23FBB) के अधीन छूट प्रदत्त हो}	10 %
Section 194LBC	ऐसी आय जो प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश से प्राप्त हो (जोकि Section 115TCA की व्याख्या में निर्दिष्टत है)	25% व्यक्तिगत या हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में, अन्य में 30%
Section 195	कोई अन्य आय और अन्तर्राष्ट्रीय लेन–देन	10 %

- **Income Tax Slab Rate:-**

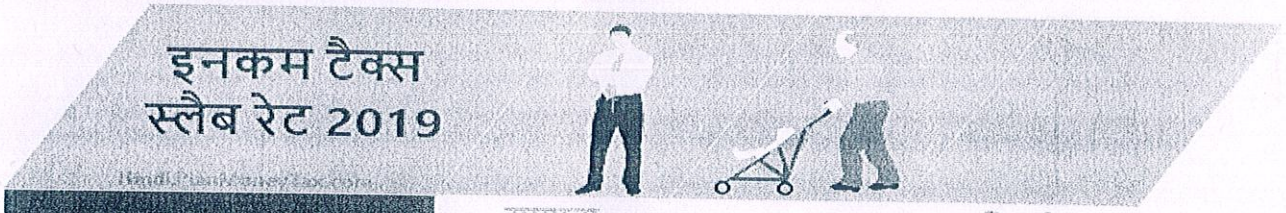

टैक्स रेट	सामान्य नागरिक	वरिष्ठ नागरिक (60 से ऊपर)	अति वरिष्ठ नागरिक (80 से ऊपर)
0%	2.5 लाख	3.0 लाख	5.0 लाख
5%	2.5 - 5.0 लाख	3.0 - 5.0 लाख	Nil
20%	5.0 -10.0 लाख	5.0 -10.0 लाख	5.0 -10.0 लाख
30%	10 लाख से ऊपर	10 लाख से ऊपर	10 लाख से ऊपर

- *अगर टैक्सेबल आमदनी ₹5 लाख से कम है तो टैक्स में ₹12,500 की छूट मिलेगी*
- *नौकरीपेशा लोगों की आमदनी से ₹50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के घटाकर टैक्स कैलकुलेशन होगा*
- *इनकम टैक्स पर 4% एजुकेशन और हेल्थ सेस अतिरिक्त*
- *50 लाख से ऊपर की कमाई पर 10% सरचार्ज*
- *एक करोड़ से ऊपर की कमाई पर 15% सरचार्ज*

- आयकर विभाग को विभिन्न विवरणियां जमा किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां--

फार्म नं0	विवरण	त्रैमास/फार्म जमा किए जाने की अंतिम तिथि			
		प्रथम त्रैमास (01 अप्रैल से 30 जून)	द्वितीय त्रैमास (01 जुलाई से 30 सितम्बर)	तृतीय त्रैमास (01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर)	चतुर्थ त्रैमास (01 जनवरी से 31 मार्च)
24 Q	वेतन मद अंतर्गत किए गए भुगतानों के सापेक्ष की गई आयकर कटौती का त्रैमासिक विवरण	31 जुलाई	31 अक्टूबर	31 जनवरी	31 मई
26 Q	वेतन मद को छोड़कर शेष भुगतानों के सापेक्ष की गई आयकर कटौती का त्रैमासिक विवरण	31 जुलाई	31 अक्टूबर	31 जनवरी	31 मई
27EQ	स्त्रोत पर कर संग्रहण का त्रैमासिक विवरण	15 जुलाई	15 अक्टूबर	15 जनवरी	15 मई

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनु सचिव।